MR. SPEAKER : He is all the time doing this thing.

...व्यवधान...

एक माननीय सदस्य : शास्त्री जी, अगर आप को कुछ कहना है तो खड़े हो कर बात करें।

...व्यवधान...

MR. SPEAKER : All these will remain. Irresponsible.

उत्तर रेलवे में हुई रेल दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति तथा इस सम्बन्ध में दिया गया मुआवजा

*372. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे में हुई रेल दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये, और

(ख) मृतकों के परिवारों को अब तक मुआवजे की कितनी धनराशि दी गयी है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) During the 3 years 1979-80 to 1981-82, 154 persons died in train accidents on Northern Railway.

(b) A sum of Rs. 11,37.000 has been paid as compensation to the next of kin of those killed in train accidents during the last three years.

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में रेलवे की कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, स्टेटवाइज कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या सब परिवारों को कम्पेन्सेशन मिल गया है ? अभी कितने आदमियों को कम्पेन्सेशन देना बाकी है ?

श्री मल्लिकार्जुन : नार्दर्न रेलवे में गुजिश्ता तीन सालों में 431 दुर्घटनाओं में 154 लोगों की मृत्यु हुई है, जिन में 40 कालिजन्स में 51 लोगों की मृत्यु हुई, 314 डिरेलमेंटस में 16 लोगों की मृत्यु हुई, केवलक्रासिंग्ज पर मैण्ड और अन-मैण्ड में जो दुर्घटनायें हुई वे क्रमशः 25 और 45 थीं, जिन में क्रमशः 29 और 55 लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटनाओं में मृत्यु का होना बहुत दुखद बात है। रेलवे तुरन्त एडहाक-क्लेम्ज कमिश्नर एप्पाइन्ट करती है और ये एडहाक क्लेम्ज कमिश्नर जो मुआवजा देना होता है उस पर गौर कर के फैसला करते हैं। अभी तक काफी लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों का क्लेम अभी अस्टेबिलिश नहीं हुआ है। इस कानून में थोड़ी-बहुत कठिनाइयां हैं। जिन के बारे में रिफार्म्ज कमेटी विचार कर रही है। जो विचार करने के बाद कुछ ऐसी व्यवस्था बनायेंगे कि भविष्य में मृत्यु होने पर उनके परिवारों को मुआवजा देने की कठिनाई दूर हो जाएगी।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये दुर्घटनायें किस सबब से हुई हैं, किन कारणों से हुई हैं ? क्या रेल की पटरियां ठीक नहीं थीं या ट्रेन ठीक नहीं थी ?

दूसरे कम्पेन्सेशन देने के लिये आप ने जो कमेटी बनाई है, वह कब तक निर्णय कर लेती है, क्या जिन को बेनिफिट मिलता है वे मर जाते हैं उस के बाद निर्णय होता है या शीघ्र विचार करती है ताकि शीघ्र निर्णय हो सके और उन लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं; ...

अध्यक्ष महोदय : एक-एक बात कर के पूछिये।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी: मैं यह जानना चाहता हूं कि सारे राज्यों में कितनी सम्पत्ति रेलवे की नष्ट हुई है इन एक्सीडेंटस में।

रेलमंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) माननीय, कोलिजिन्स में रेल दुर्घटनाओं में जहां तक लोगों के मरने का सवाल है, मैं यह बताना चाहता हूं कि 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में 40 एक्सीडेंट हुए और उन में 51 आदमियों की मृत्यु हुई है। मैन्ड रेलवे क्रोसिंग्स के ऊपर जो एक्सीडेंटस हुए हैं, उन में 29 आदमी मरे हैं, जिनमें से 28 ऐसे आदमी हैं और एक रेलवे का आदमी है। आम तौर पर लेविल क्रासिंगस पर जो एक्सीडेंटस होते

हैं, उन में फिलहाल कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। दूसरे अभी जो क्लेम्स देने का तरीका है, उस में परिवार की जो डेफीनीशन है, उस में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है जो रेलवे एक्ट में परिवर्तन कर के किया जा रहा है क्योंकि फिलहाल जो डिपेन्डेंटस हैं, उन को परिभाषा के अनुसार अनगैरीड और अनइम्पलायड मेजर्स को कम्पेनसेशन नहीं मिलता है लेकिन जो कम्पेंसेशन पाने के हकदार हैं, उन सब को दिया जा रहा है और क्लेम्स कमिश्नर इसको डिसाइड करना है। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि अभी तक जो दुर्घटनाएं हुई हैं उन में जहां जहां क्लेम्स कमिश्नर नहीं थे, वहां सब जगहें क्लेम्स कमिश्नर एपाइन्ट कर दिये गये हैं और वे इस काम को एक्सपीडाइट कर के मुआविजे का काम जल्दी करेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मान्यवर, पिछले कुछ समय से रेलवे दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लगने लगा है कि शायद रेलवे विभाग में एक रेल दुर्घटना मंत्री और बनाया जाए, तो शायद काम चलेगा। मंत्री जी ने क्लेम्स की बात कही है, तो स में क्या अमीर आदमी को ज्यादा पसा मिलेगा और अगर गरीब आदमी मरता है, तो उस को कम पैसा मिलेगा क्या इस प्रकार का आप का कोई नियम है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मरने के लिए ज्यादा और चोट लगने के लिए कम राशि मिलेगी, ऐसी कोई बात है और क्या आप अलग-अलग राशियां मुकर्रर करने जा रहे हैं।

इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैं ने अखबार में पढ़ा था कि किसी सज्जन ने किसी यंत्र का आविष्कार किया है। इस बात की आप ने जानकारी हासिल की है और क्या उन से परामर्श किया है, जिन्होंने इस यंत्र का आविष्कार किया है। वह यंत्र दुर्घटनाओं के लिए सचेत कर देता है। क्या उस डिवाइस को आप ने अख्तियार किया है, जिस से रेल दुर्घटनाएं न हों ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मान्यवर, जहां तक पिछली अप्रैल से जुलाई तक का सवाल है, कुल मिलाकर नर्दर्न रेलवे पर 8 आदमी मरे हैं और सब रेलवेज में 44 आदमी मरे हैं। इसलिए पिछले तीन महीनों में दुर्घटनाओं में निश्चित तौर पर कमी हुई है। ट्रेन खराब होने की वजह से जो एक्सीडेंटस होते हैं, उन का इन्तजाम किया गया था कलकत्ता साइड में लेकिन मैटल होने की वजह से उस की चोरी काफी हुई हुई और वे सब निकाल लिये गये। इसलिए दूसरी डिवाइस ढूंढी जा रही है, जिस से ड्राइवर को यह पता लग सके कि कहां पर ट्रैक खराब है और वह स्पीड रेस्ट्रिक्ट कर के गाड़ी चला सके या उसे रोक सके।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मुआविजे में कोई अन्तर है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय: एक सवाल का जवाब आ चुका है।

श्री हरीश कुमार गंगवार: यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या क्लेम की राशि अलग अलग है। मृत्यु पर ज्यादा और चोट लगने पर कम पैसा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कह रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस में मालदार और गरीब का सवाल नहीं है। मरने पर अधिक से अधिक 50 हजार रुपया देने का प्रावधान है और क्लेम्स कमिश्नर इसको डिसाइड करता है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आधार नहीं बताया। (व्यवधान) :

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मिला दंडवते।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : रेलवे में ला एण्ड आर्डर की वजह से भी मर्डर हो जाते हैं जसे कि बम्बई शहर में शांति देवी की घटना हो गयी। बम्बई शहर में मंगलसूत्र की बहुत चोरियां होती है। इसकी वजह से भी बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। क्या ऐसे लोगों को रेलवे की तरफ से कोई कम्पेनसेशन देने की व्यवस्था है ? क्या कभी किसी को अपने कोई कम्पेनसेशन दिया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कभी कोई मर्डर हो जाता है तो उसमें कम्पेनसेशन देने का अधिकार मंत्रालय को है और रेलवे मंत्रालय ऐसे मामलों में 25 हजार रुपये कम्पेनसेशन देता है। कई लोगों को कम्पेन्सेशन दिया गया है।